नगर निगम, शाहजहॉपुर।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 24.10.2020

- नगर निगम द्वारा नगर आयुक्त महोदय के कुशल निर्देश में आधुनिक तकनीक से छाया कुआं के पास हनुमतधाम द्वार का कार्य कराया गया।

- नगर आयुक्त महोदय दिनांक 24.10.2020 को मधईटोला गौशाला एवं नंदीशाला का निरीक्षण किया गया, महा अष्टमी /नवमी के दिन गौ–माताओ का किया गया पूजन।

- दिनांक 31.10.2020 के बाद कोई भी ऑफ–लाइन कार्य नही होगें, दिनांक 01.11.2020 से नगर निगम के समस्त कार्य आन–लाईन किये जायेगें।

- नगर आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार रामनवमी एवं दशहरा त्यौहार के दृष्टिगत साफ–सफाई,शुद्ध पेयजल की आपूर्ति तथा पथ प्रकाश हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये।

- महानगर के सौदर्न्यीकरण के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा हनुमतधाम द्वार का कार्य कराया जा रहा है। इसे आधुनिक तकनीक के माध्यम से छाया कुआं के पास स्थापित किया जा रहा है। इस द्वार के स्थापित होने से नगर के बाहर दूर–दराज से आने वाले पर्यटको को हनुमतधाम के दर्शन जाने में दिशा सूचक का कार्य करेगा। जिससे पर्यटक हनमुतधाम आसानी से पहुॅच सकेगे। यहॉ पर लगाया जाने वाला गेट पूर्ण रूप से स्टेनलेस स्टील से निर्मित है। तथा आधुनिक तकनीक से बने नियोन रसायन के अक्षरो द्वारा अंकन किये गये है। इसके कारण गेट अन्धरे/रात्रि काल मे भी पर्याप्त प्रकाश के साथ दिखाई पड़ेगा। हनुमतधात द्वार की स्थापना से छाया कुऑ चौराहे का आकर्षण बढ़ेगा। आज इस गेट को अधिष्ठापित कराने हेतु श्री मोद नरायण झा,अधिशासी अभियन्ता अपनी टीम के साथ मौके पर उपस्थित रहे।

- नगर आयुक्त महोदय द्वारा आज दिनांक 24.10.2020 को मधईटोला गौशाला एवं नंदीशाला का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गौशाला एवं नंदीशाला में साफ–सफाई का विशेष ध्यान दिये जाने हेतु दिया गया निर्देश। गौशाला में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से वहॉ मच्छरो के प्रजनन की सम्भावना है। जिससे गाये एवं वहॉ काम कर कर कर्मचारी अस्वथ्य हो सकते है। इसके सम्बन्ध में नगर आयुक्त महोदय द्वारा सहायक अभियन्ता(जल))को निर्देशित किया गया कि जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा गायो को हरा एवं पौष्टिक भोजन दिया जाये। नगर आयुक्त महोदय द्वारा आज गायो को माला पहनाया गया तथा उन्हे गुड व चना़ खिलाया गया। इसके अतिरिक्त बीमार गायो को चिकित्सक से इलाज कराने के निर्देश दिये। निरीक्षण के समय अपर नगर आयुक्त,सहायक नगर आयुक्त एवं सहायक अभियन्ता (जल) उपस्थित रहे।

- नगर निगम,शाहजहॉपुर में सम्पत्तियो के नामांतरण की कार्यवाही दिनांक 01.11.2020 से ऑनलाइन माध्यम से ही किये जायेगें। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा 213 के अन्तर्गत सम्पत्तियो के नामातंरण का प्राविधान किया गया है। जनसामान्य को त्वरित,सुलभ एवं पारदर्शी तरीके से सेवाये उपलब्ध कराने के उददेश्य से ई– नगर सेवा के अन्तर्गत 12 सुविधाओ को समेकित करते हुये सम्पत्तियो के नामातंरण की भी ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। जन सामान्य को सुचारू रूप से समस्त सेवाओ को उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत नगर आयुक्त महोदय द्वारा नगर निगम को 04 जोनो में बाटा गया है एवं जोनल अधिकारी तैनात किये गये है। नगर आयुक्त महोदय द्वारा इस सम्बन्ध मे नगर निगम में एकल खिड़की की स्थापना करते हुये समस्त सुविधाओ को आनलाइन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। नामातंरण की कार्यवाही जोनल अधिकारियो द्वारा 45 दिन की नियत अवधि में पूर्व किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। एकल खिड़की पर कर्मचारियो को तैनात करते हुये आमजन को एक ही स्थान पर नामातंरण प्रार्थना देने, देय गृहकर/जलकर को जमा करने, नकल हेतु आवेदन देने,गृहकर निर्धारण तथा इससे सम्बन्धित शिकायतो को प्राप्त करने तथा समस्त प्रकरणो का निस्तारण समय से करने हेतु निर्देशित किया गया।

- नगर आयुक्त महोदय निर्देशानुसार रामनवमी एवं दशहरा त्यौहार के दृष्टिगत साफ–सफाई,शुद्ध पेयजल की आपूर्ति तथा पथ प्रकाश हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये। दिये गये निर्देश के कम में नगर के सभी सफाई जोनो में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। सफाई जोन–1 में खन्नौत नदी,सफाई जोन–2 काजीखेल, सफाई जोन–3 मो0 हुसैनपुरा सफाई जोन–4 वाला तिराही सफाई जोन–5 मो0 रोजा नोटिफायड एरिया आदर्शनगर इन स्थानो पर वृहद सफाई का कार्य एवं कूड़ा उठाने तथा दवा का छिड़काव कराया गया। नगर आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा आज दिनांक 24.10.2020 को ध्वनि विस्तारण के माध्यम से नियिमत रूप से हाथ धोने, मास्क लगाने, दो गज की दूरी रखने तथा संक्रमण के बचाव का उपाय बताते हुये लोगो को जागरूक किया जा रहा, नगर आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार खाली प्लाटो पड़े पर कूड़े को साफ कराया जा रहा है। नगर आयुक्त महोदय द्वारा नगर में बिना किसी कार्य के बाहर न निकले, मास्क का प्रयोग करने, अपनी सुरक्षा हेतु हाथ धोने,सेनेटाइजेंशन और 02 गज दूरी बनाये रखने हेतु अपील किया गया। सार्वजनिक स्थानो पर गंदगी करने,थकने,मास्क न पहने आदि पर जुर्माना लगाने एवं चालान करने निर्देश दिया गया है।. नगर आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार प्रतिबन्धित पालीथीन के उपयोग रोकने हेतु की गई कार्यवाही की जा रही है, नवरात्रि एवं दशहरा त्यौहार के दृष्टिगत नगर के विभिन्न पूजा स्थलो पर पेयजल, प्रकाश व्यवस्था ठीक कराते हुये सफाई, चून का छिड़काव, दवा छिड़काव तथा सेनेटाईजेशन का कार्य किया गया।

उप नगर आयुक्त
नगर निगम,शाहजहॉपुर